रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 63] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 8, 2016/पौष 18, 1937
No. 63] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 8, 2016/ PAUSA 18 , 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2015

का.आ. 69(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

मालाबार वन्यजीव अभयारण्य केरल राज्य में कोजीकोडे जिले में किलांदी ताल्लुक के चक्कित्तापाडा और चेम्बानोडा राजस्व ग्रामों में उत्तरी अक्षांश 11° 75' और 11°76' तथा पूर्वी देशांतर 76°20' और 75°38' में अवस्थित है ;

और, मालाबार वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी घाट का अभिन्य भाग है और इसकी तीव्र स्थलाकृतिक प्रवणता 40 मीटर से 1506 मीटर तक है, इसकी विशेषताएँ खड़ी ढाल पहाड़ी, गहरी घाटी, कच्ची भूमि आदि के साथ छोटी पहाड़ी और सदानीर जल स्त्रोत है ।

और, अभयारण्य उच्च वनस्पति विविधता से जाना जाता है और क्षेत्र के पेड़ पौधे की विविधता उच्च पहाड़ी सदाबहार वन से उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन, अर्ध-सदाहरित वन और आर्द्र पर्णपाती वनों में ट्रमीनालिया बेलेरिका, पीटरोकरपस मरसपियम, स्टेरियोसर्पमम चलोनोइडस, ग्रेविया तीलीफोलिया, डिलेनिया पेंटागयान, लएशियानथस स्पा, साइकोटिशिया स्पा, सोलानम स्पा, स्ट्रोबिलानथस स्पा. तक सम्मिलित है ।

और, अभयारण्य में कई स्थानिक और अनेक पुनः आविष्कृत प्रजातियों जिनमे कुछ प्रजातियां सिर्फ अभयारण्य की भीतर में पायी जाती है को आश्रय देता है और मालाबार वन्यजीव अभयारण्य सार्वभौमक संकटापन्न स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप, मछली और उभयचरों का वास है ।

और, मालाबार वन्यजीव अभयारण्य वयानन्द हाथी रिजर्व का भाग है और विविध जीवजंतु का संभरण करती है जिनमें स्तनीयों की 41 प्रजातियां तथा उनमे 6 पश्चिमी घाट में स्थानिक है, उभयचर की 38 प्रजातियां जिनमें 26 स्थानिक हैं, मछलियों की 52 प्रजातियां जिनमें 21 स्थानिक है, सम्मिलित है ।

और, अभयारण्य में संकटापन्न स्तनी प्रजातियां जैसे-व्याघ्र, तेंदुआ, तेंदुआ बिल्ली, जंगली बिल्ली, साल, तावंगु, पिसूरी, जंगली कुत्ता, सूरज-भगत और रीछ भी आश्रित है।

और, मालाबार वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केरल राज्य में मालाबार वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 0.1 किलोमीटर से 1 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को मालाबार वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

(1) **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार मालाबार वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0.1 किलोमीटर से 1 किलोमीटर तक है और यह 37.9 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी सीमा का वर्णन **उपाबंध I** पर दिया गया है ।

(2) प्रमुख बिन्दुओं के निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन दो राजस्व ग्रामों में फैला हुआ है, जिसमें निहित वन सम्मिलित हैं। पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आना वाले ग्रामों और निहित वनों की सूची **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध हैं ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर स्थानीय लोगों से परामर्श करके और इस अधिसूचना में दिए गए उपदर्शों का अनुपालन करते हुए, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) उक्त योजना को राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट रीति में और सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतो, यदि कोई हों, के सामंजस्य से तैयार की जाएगी ।

(4) आंचलिक महायोजना उसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी मुद्दों को सम्मिलित करने के लिए संबंधित राज्य विभागों के साथ परामर्श से तैयार की जाएगी, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) शहरी विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) नगरपालिका ;

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ;

(viii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;

(ix) सिंचाई; और

(x) लोक निर्माण विभाग ।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिकीय अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोधान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी ।

(9) आंचलिक महायोजना के उपबंधों को पर्याप्त प्रचार प्रदान किया जाएगा ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, के अधीन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन क्रम सं. 17, 22, 28, 34 और 37 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(क) पारिस्थितिकी अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल आरामगाह जैसे टेन्ट, लकड़ी का मकान आदि ;

(ख) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना तथा सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण ;

(ग) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(घ) वर्षा जल संचयन; और

(ड.) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधाजनक भंडार और स्थानीय सुविधाएं भी हैं :

परंतु यह और भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में पाई जाने वाली कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी :

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि हरित क्षेत्र जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल-स्रोत**--आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा इन क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलापों, जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक है, को प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन–**(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना का एक भाग बनेगें ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, केरल सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग, केरल सरकार के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा पारिस्थितिक पर्यटन राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी निवास के लिए आवासन के सिवाय पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटल और रिसोर्ट के नए संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होंगा ;

परंतु आंचलिक महायोजना के अनुसार विद्यमान प्रतिष्ठापनों के विस्तार को अनुज्ञात किया जाएगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत–**पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाओं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें परिरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाई जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल--**पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार की जाएंगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**–पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण**–पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण**–पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट**–ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा –

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 को प्रकाशित नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट.—**पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल रीति में विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति यानीय गतिविधियों के अनुपालन को सुसंगत अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन मानीटर करेगी ।

(12) **औद्योगिक इर्काइयां.—**(क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को सिवाए विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान कुष्ठ आधारित उद्योगों के अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ख) जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का संनिर्माण के संदर्भ में प्रतिषिद्ध होंगी अन्यथा नहीं ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में होगी ।
2.	आरा मीलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
4.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) । तथापि जनजातियों के वास्तविक उपयोग के लिए अनुज्ञात ।
5.	नई बृहत जल विद्युत परियोजनाओं और सिंचाई परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
6.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
7.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
8.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप करना जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
9.	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग तब तक जारी रह सकेंगे जब तक तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उन्हें प्रतिषिद्ध नहीं कर दिया जाता है ।
10.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि उपयोग और घरेलू खपत के लिए ही जल का निष्कर्षण सतही और भूमिगत जल अनुज्ञात होगा।

		(ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल के निष्कर्षण के लिए संबिधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है । (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
11.	ठोस अपशिष्टों/प्लास्टिक अपशिष्टों/ रासायनिक अपशिष्टों को नदी और भू-क्षेत्र में डालना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
12.	वाणिज्यिक मछली पकड़ना और अवैज्ञानिक मछली पकड़ना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) तथापि, जनजातियों के वास्तविक उपयोग के लिए अनुज्ञात ।
13.	नदी के किनारों का अतिक्रमण और किनारों की वनस्पति को नष्ट करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
14.	नदी के पत्थरों को एकत्रित करना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
15.	विस्फोटक मदों का विनिर्माण और भंडारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
16.	वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए पहाड़ियों का संपरिवर्तन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
विनियमित क्रियाकलाप		
(17)	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी निवास के लिए आवासन के सिवाय पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटल और रिसोर्ट के नए संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होंगा; परंतु आंचलिक महायोजना के अनुसार विद्यमान प्रतिष्ठापनों के विस्तार को अनुज्ञात किया जाएगा।
(18)	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) राष्ट्रीय पार्क की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर नए वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु स्थानीय निवासियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण, जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ; (ख) परंतु यह और कि प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण कार्यकलापों को विनियमित किया जाएगा और लागू नियमों और विनियमों के अनुसार, यदि कोई हों तो, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से न्यूनतम रखा जाएगा। (ग) एक किलोमीटर से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक वास्तविक स्थानीय आवश्यकताओं के संनिर्माण क्रियाकलापों को महायोजना के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
(19)	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई, संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके

		अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी। (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों के मामले में कार्ययोजना आदेशों का अनुसरण किया जाएगा।
(20)	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण।	भूमिगत केबल डालने का संवर्धन।
(21)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना।	विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(22)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे।
(23)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
(24)	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(25)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(26)	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में उपचारित बहिःस्रावों का निस्सारण और ठोस अपशिष्ट का निपटान।	उपचारित बहिस्र्राव के पुनर्चव्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान करने के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा।
(27)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(28)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प, कृषि उद्यान या कृषि आधारित उद्योग, जो देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन करते है और पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, को अनुज्ञात किया जाएगा।
(29)	वन उत्पादों और गैर-काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी)।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(30)	वायु और यानिक प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(31)	दुकानदारों द्वारा पालीथिन के बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(32)	कृषि प्रणाली में भारी परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
	संवर्धित क्रियाकलाप :	
(33)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियां, पशुपालन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
(34)	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।
(35)	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।
(36)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।
(37)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।
(38)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	बायोगैस, सौर लाइट, आदि का संवर्धन किया जाएगा।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

i. जिला कलेक्टर, कोजीकोडे - अध्यक्ष ;

ii. वेयानाड़ जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि - सदस्य ;

iii. विधान सभा सदस्य, पेराम्बरा - सदस्य ;

(इस शर्त के अधीन रहते हुए कि केरल सरकार अन्य बातों के साथ केरल विधान सभा के सभापति से अनुज्ञा सहित सुसंगत अनुमोदन, यदि अपेक्षित हो, प्राप्त करेगी)

iv. विधान सभा सदस्य, बेलूस्सेरी - सदस्य ;

(इस शर्त के अधीन रहते हुए कि केरल सरकार अन्य बातों के साथ केरल विधान सभा के सभापति से अनुज्ञा सहित सुसंगत अनुमोदन, यदि अपेक्षित हो, प्राप्त करेगी)

v. अध्यक्ष, जिला पंचायत, कोजीकोडे - सदस्य ;

vi. पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए केरल राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि - सदस्य ;

vii. केरल सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ– सदस्य ;

viii. जिला अधिकारी, केरल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कोजीकोडे – सदस्य ;

ix. प्रभागीय वन अधिकारी, कोजीकोडे - सदस्य-सचिव ।

6. निर्देश निबंधन

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संबंधित उद्यान उप वन संरक्षक ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

6. केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

7. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/98/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

पारिस्थितिक संवेदी जोन का सीमा वर्णन

उत्तर	100 मीटर चौडाई के बाद मुठाट्टुपुजहा के साथ चेमपनोडा ग्राम का दक्षिणी बसा हुआ क्षेत्र की दूरी 8 किलोमीटर है और 1 कि.मी. चौड़ाई के साथ पक्काठुवीलेरी चुडुपुलन पुलोकीकन मालावाराम का निहित वन वी.एफ.सी. इकाई सं. 4 और 54 की दूरी 3.8 कि.मी. है ।
पूर्व	कोजीकोडे से 1 कि.मी. चौड़ाई-वयांनद अंतर जिला सीमा की ओर से दक्षिण-पूर्व दिशा से होते हुए वाट्टाठुमाला निहित वन की वी.एफ.सी. इकाई सं. 15, करींगान्नी निहित वन की वी.एफ.सी. इकाई सं. 59, भाग्यलक्ष्मी भूमि वन की वी.एफ.सी. इकाई 7 और 57, पेरुनथाट्टा की वी.एफ.सी. इकाई सं. 13 की दूरी 5.8 कि.मी. है, और सी.आर. भूमि निहित वन 100 मीटर की चौड़ाई के साथ वयांनद जिला में निजी भूमि की दूरी 2.5 कि.मी. है और 1 कि.मी. के साथ अंतर जिला सीमा से होते हुए दक्षिण दयांनद प्रभाग का अचूरन मालावाराम की वी.एफ.सी. इकाई सं. 18, 19 और 87 तक थामारास्सेरी वन श्रेणी के साथ पिंट मेट्स की दूरी 8.9 कि.मी. है ।
दक्षिण	1 किलोमीटर चौड़ाई के साथ थामारास्सेरी श्रेणी के दक्षिण-पश्चिमी दिशा में, निहित वन सीमा से होते हुए वी.एफ.सी. इकाई सं. 26, पाट्टेरमेडु वीलाथींपीलावु मालावाराम और 1 कि.मी. के साथ उत्तर-पश्चिमी दिशा में निहित वन सीमा से होते हुए वी.एफ.सी. इकाई सं. 33 थामारास्सेरी श्रेणी की पनीअनकारा मालावाराम की दूरी 9 कि.मी. है ।
पश्चिम	एक किलोमीटर चौड़ाई के साथ निहित वन सीमा की वी.एफ.सी. इकाई सं. 52 की अंश सं. 27 की दूरी 4.5 कि.मी. है । के.एस.ई.बी. भूमि की सीमा से काक्कायम के अंतर्गत की दूरी 1.5 कि.मी. है, पीरिस्थितिक संवेदी जोन की शून्य है। उसके बाद 1 कि.मी. चौड़ाई निहित वन से होते हुए वी.एफ.सी. इकाई 52 की अंश सं. 31, अभयारण्य सीमा से होते हुए निजी अधिकृत क्षेत्र और के.एस.ई.बी. भूमि और कुट्टीअडी सिंचाई परियोचना जलाशय से होते हुए और वन पट्टी भूमि (केरल का रोपण निगम) से होते हुए और निजी अधिकृत क्षेत्र से होते हुए और पट्टी भूमि (आई.आई.एस.आर.) से होते हुए और कुठाली फार्म और पन्नीकोट्टुर कालोनी से होते हुए इसकी दूरी 30.5 कि.मी. है ।

उपाबंध II

पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र अक्षांश और देशांतर सहित

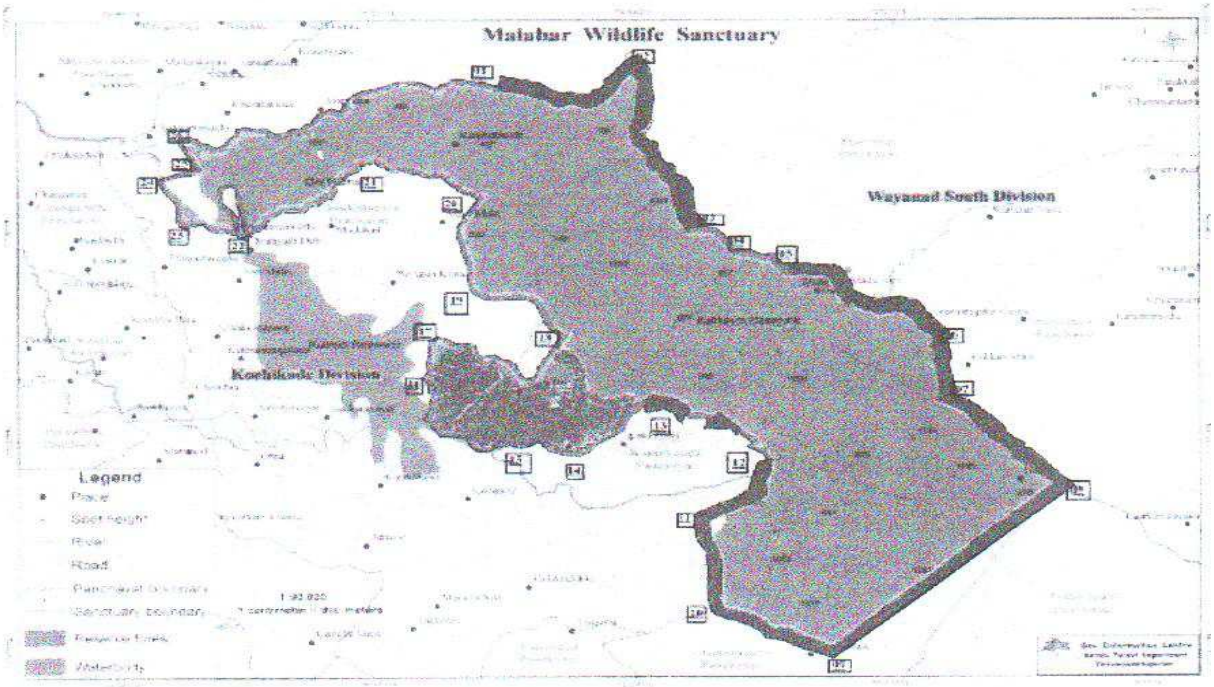

- ESZ WIDTH 1 KM

- ESZ WIDTH 100 m

मालाबार पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के प्रमुख स्थानों पर अक्षांश और देशांतर

मानचित्र में स्थान	अक्षांश	देशांतर
1	11⁰ 38' 480"	075⁰ 52' 095"
2	11⁰ 38' 750"	075⁰ 54' 032"
3	11⁰ 36' 498"	075⁰ 54' 712"
4	11⁰ 36' 175"	075⁰ 55' 192"
5	11⁰ 35' 920"	075⁰ 55' 852"
6	11⁰ 34' 720"	075⁰ 57' 735"
7	11⁰ 33' 652"	075⁰ 57' 830"
8	11⁰ 32' 870"	075⁰ 59' 010"
9	11⁰ 29' 520"	075⁰ 56' 232"
10	11⁰ 30' 620"	075⁰ 54' 840"
11	11⁰ 31' 570"	075⁰ 54' 923"
12	11⁰ 32' 938"	075⁰ 54' 927"
13	11⁰ 33' 018"	075⁰ 54' 096"

मानचित्र में स्थान	अक्षांश	देशांतर
14	11⁰ 33' 702"	075⁰ 53' 546"
15	11⁰ 32' 718"	075⁰ 52' 090"
16	11⁰ 34' 112"	075⁰ 51' 602"
17	11⁰ 33' 742"	075⁰ 52' 821"
18	11⁰ 35' 227"	075⁰ 54' 021"
19	11⁰ 35' 806"	075⁰ 52' 498"
20	11⁰ 36' 292"	75⁰ 52' 498"
21	11⁰ 37' 106"	75⁰ 51' 074"
22	11⁰ 35' 766"	75⁰ 44' 092"
23	11⁰ 36' 096"	75⁰ 48' 744"
24	11⁰ 36' 842"	75⁰ 48' 421"
25	11⁰ 36' 991"	75⁰ 48' 951"
26	11⁰ 37' 372"	75⁰ 48' 751"

उपाबंध III

पारिस्थितिक संवेदी जोन में निहित वनों और ग्रामों की सूची

क्र.सं.	जिला	तालुक	ग्राम का नाम	स्थिति (आंशिक/पूर्ण)
1	कोजीकोडे	कोयीलैंडी	चेमबानोड	भाग
2	कोजीकोडे	कोयीलैंडी	चक्कीतापारा	भाग
3	कोजीकोडे	कोयीलैंडी	कोराचुनडु	भाग
4	कोजीकोडे	कोजीकोडे	पुठुप्पड़ी	भाग
5	कोजीकोडे	कोजीकोडे	केदावूर	भाग
6	वयांनद	कलपेट्टा	थारीयोड	भाग
7	वयांनद	कलपेट्टा	अचूरन	भाग

क्र.सं.	जिला	आरक्षित/निहित वन का नाम	प्रशासन नियंत्रण	विस्तार (वर्ग कि.मी.)	अधिसूचना सं.
1	कोजीकोडे	वी.एफ.सी. इकाई सं. 4 और 54 पाक्कथ वीलेरी चुडुपुल्लन	कोजीकोडे वन विभाग	12.43	डी 5272/77 दिनांक 25.07.1980
2	कोजीकोडे	वी.एफ.सी. इकाई सं. 52 अंश 27	कोजीकोडे वन विभाग	3.09	डी 5272/77 दिनांक 05.05.2001

3	कोजीकोडे	वी.एफ.सी. इकाई सं. 52 अंश सं. 31	कोजीकोडे वन विभाग	0.76	डी 5272/77 दिनांक 21.11.1979
4	कोजीकोडे	वी.एफ.सी. इकाई सं. 26 पट्टारुमेडु, विल्लाथिपलायु	कोजीकोडे वन विभाग	13.99	डी 5272/77 दिनांक 10.07.1977
5	कोजीकोडे	वी.एफ.सी. इकाई सं. 33 पन्नीयानकारा मालावाराम	कोजीकोडे वन विभाग	8.42	डी 5272/77 दिनांक 10.07.1977
6	वयांनद	वी.एफ.सी. इकाई सं. 15 वट्टाथुमाला	दक्षिण वयांनद वन विभाग	11.26	डी 5272/77 दिनांक 25.07.1980
7	वयांनद	वी.एफ.सी. इकाई सं. 7 & 57 भाग्यलक्ष्मी राज्य	दक्षिण वयांनद वन विभाग	1.76	डी 5272/77 दिनांक 10.07.1977
8	वयांनद	वी.एफ.सी. इकाई सं. 13 पेरुनथाट्टा और सी.आर राज्य	दक्षिण वयांनद वन विभाग	0.81	डी 5272/77 दिनांक 10.07.1977
9	वयांनद	वी.एफ.सी. इकाई सं. 18, 19 और 87 अचुरानमाला	दक्षिण वयांनद वन विभाग	25.52	डी 5272/77 दिनांक 07.12.1978
10	वयांनद	वी.एफ.सी. इकाई सं. 59 करुनगन्नी	दक्षिण वयांनद वन विभाग	1.50	डी 5272/77 दिनांक 10.07.1977

उपाबंध IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति—की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रोफार्मा

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2015

S.O. 69(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Malabar Wildlife Sanctuary is situated between 11^0 75' and 11^0 76' North latitude and between 76^0 20' and 75^0 38' East longitude in the Chakkittapara and Chembanoda revenue villages of Quilandy taluk in Kozhikode District of Kerala State;

AND WHEREAS, Malabar Wildlife Sanctuary is an integral part of the Western Ghats and has sharp topographical gradient ranging from 40 to 1506 metres characterised by steep hills, deep valleys, marshy lands etc. with hillocks, and has perennial water sources;

AND WHEREAS, the Sanctuary is characterised with high diversity of flora and the vegetation of the region varies from hill top evergreen forests to tropical evergreen forests, semi evergreen forests and moist deciduous forests including *Terminalia bellerica, Pterocarpus marsupium, Stereospermum chelonoides, Grewia tilifolia, Dillenia pentagyna,* Lasianthus Sp, Psychotria Sp, Solanam Sp, Strobilanthus Sp;

AND WHEREAS, the sanctuary harbours several endemics and many rediscovered species with a a few species occuring only within the sanctuary and the Malabar Wildlife Sanctuary is also the abode of a number of globally threatened mammals, birds, reptiles, fishes and amphibians;

AND WHEREAS, the Malabar Wildlife Sanctuary is part of the Wayanad Elephant Reserve and supports diverse fauna which include 41 species of mammals, of which 6 are endemic to Western Ghats, 38 species of amphibians of which 26 are endemics, 52 species of fishes, of which 21 are endemic;

AND WHEREAS, the sanctuary also harbours threatened mammal species such as tiger, leopard, leopard cat, jungle cat, pangolin, slender loris, mouse deer, wild dog, flying squirrel and sloth bear;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Malabar Wildlife Sanctuary as Eco- sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent varying from 0.1 kilometre to 1 kilometer from the boundary of Malabar Wildlife Sanctuary in the State of Kerala as the Malabar Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone), details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.—(1) The extent of Eco-Sensitive Zone varies from 0.1 kilometer to 1 kilometer around the boundary of Malabar Wildlife Sanctuary and is spread over an area of 37.9 square kilometre. Details of boundary are appended as **Annexure-I**.

(2) The map of the Eco-sensitive Zone along with co-ordinates of prominent points is appended as **Annexure II.**

(3) The Eco-sensitive Zone covers two revenue villages including vested forests. The list of the villages and vested forests falling within the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure III.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.—(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment,

(ii) Forest,

(iii) Urban Development,

(iv) Tourism,

(v) Municipal,

(vi) Revenue,

(vii) Agriculture

(viii) State Pollution Control Board,

(ix) Irrigation, and

(x) Public Works Department

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(9) Adequate publicity shall be given to the provisions of the Zonal Master Plan.

3. **Measures to be taken by State Government.**-The State Governments shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.—**Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 17, 22, 28, 34 and 37 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities,

(ii) widening and strengthening of existing roads,

(iii) small scale industries not causing pollution,

(iv) rainwater harvesting, and

(v) cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.—**(a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, Government of Kerala in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Kerala.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities:

Provided that extension of existing establishments may be permitted in accordance with the Zonal Master Plan.

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.—**All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.—**Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of final notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.—**The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.—**The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.—**The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) The inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.—**The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial Units.-**

(a) No establishment of new wood based Industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based Industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.—**All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) New mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited effect except for the domestic needs of *bona fide* local residents with reference to digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No. 202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No. 435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. However, permitted for bonafide use of tribals.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by	Prohibited (except as otherwise provided) as per

	aircraft, hot-air balloons	applicable laws.
9	New wood based industry.	Establishment of new wood based industry shall not be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law.
10	Commercial water resources including ground water harvesting	(a) Extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including for commercial mineral water plants and aerated drinks, bottling plants shall not be permitted in the Eco-sensitive Zone. (b) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
11	Dumping of solid wastes/plastic wastes/chemical wastes in the river and the land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
12	Commercial Fishing and unscientific fishing.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. However, permitted for bonafide use of tribals.
13	Encroachment of river banks and destruction of river bank vegetation.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
14	Collection of river stones.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
15	Manufacturing and storage of explosive items.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
16	Conversion of hills for commercial purpose.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated Activities		
17.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within the Eco-sensitive Zone except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities: Provided that extension of existing establishments may be allowed in accordance with the Zonal Master Plan.
18	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within the Eco-sensitive Zone: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3. (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from

		the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Construction activity in the Eco-sensitive Zone shall be as per Zonal Master Plan.
19.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder. (c) In case of reserve forests and protected forests the working plan prescriptions shall be followed.
20.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	Promote underground cabling
21.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
22.	Widening and strengthening of existing roads	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
23.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
24.	Introduction of exotic species.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
25.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
26.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
27.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
28.	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
29.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
30	Air and vehicular pollution	Regulated under applicable laws.
31	Use of polythene bags by shopkeepers	Regulated under applicable laws.
32	Drastic Change of Agriculture systems	Regulated under applicable laws.
Permitted Activities		
33.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming and fisheries.	Permitted under applicable laws.

34.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
35.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
36.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
37.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
38.	Use of renewable energy sources	Bio gas, solar light etc. to be promoted

5. Monitoring Committee.—(1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following namely:-

(i) The District Collector, Kozhikode-Chairman

(ii) Representative of District Collector, Wayanad –Member

(iii) The Member of Legislative Assembly, Perambra -Member

(Subject to the State Government of Kerala obtaining relevant approvals *inter alia* including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Kerala, if required)

(iv) The Member of Legislative Assembly, Balussery - Member

(Subject to the State Government of Kerala obtaining relevant approvals *inter alia* including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Kerala, if required)

(v) President, District Panchayat, Kozhikode –Member

(vi) One representative of Non Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Kerala for a term of one year in each case –Member

(vii) one expert in the area of ecology and environment from a reputed institution of University in the State to be nominated by the Government of Kerala for a term of one year in each case –Member

(viii) Kerala Pollution Control Board, District Officer, Kozhikode -Member

(ix) The Divisional Forest Officer, Kozhikode –Member-Secretary

Terms of Reference:

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned park incharge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as per proforma given in **Annexure IV**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/98/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

BOUNDARY DESCRIPTION OF THE ECO-SENSITIVE ZONE

North	100 m width after Muthattupuzha along the southern inhabited area of Chempanoda village up to a distance of 8 km and 1 km width along the vested forest VFC Item Nos. 4 and 54 of Pakkathu Villeri Chudupullan Pulikikan Malavaram up to a distance of 3.8 km.
East	1 km width from Kozhikode – Wayanad inter district boundary towards south east direction through VFC Item 15 Vattathumala Vested Forest, VFCItem No. 59 Karinganni Vested Forest, VFC Item 7 and and 57, Baghyalakshmi Estate Vested Forest, VFC Item No. 13 Perunthatta and CR estate Vested Forest, up to distance of up to a distance of 5.8 km, 100 mtr width along the private estates in Wayanad district up to a distance of 2.5 km and 1 km with along the inter district boundary through VFC Item Nos. 18, 19 and 87 Achooran Malavaram of South Wayanad division till the pint metts with Thamarassery Forest Range up to a distance of 8.9 km.
South	1 km width along the vested forest boundary in a south westerly direction of Thamarassery range through VFC Item No. 26, Pattermedu Villathipilavu Malavaram and 1 km along the Vested Forest boundary in a north western direction through VFC Item No. 33 Paniankara Malavaram of Thamarassery Range up to a distance o f 9 km.
West	One kilometer width along the Vested Forest boundary VFC Item No. 52 bit No. 27 up to a distance of 4.5 km. From the boundary of KSEB land to Kakkayam falling within a distance of 1.5 km, the eco-sensitive zone is zero. Thereafter 1 km width through the VFC item 52 bit No. 31 vested forest, Sanctuary boundary of through private occupied area and KSEB land and through Kuttiady Irrigation Project Reservoir and through forest lease land (Plantation Corporation of Kerala) and through private occupied land and through lease land (IISR) and through Kuthali Farm and Pannikottur Colony up to distance of 30.5 km .

ANNEXURE-II

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE WITH LATITUDES AND LONGITUDES

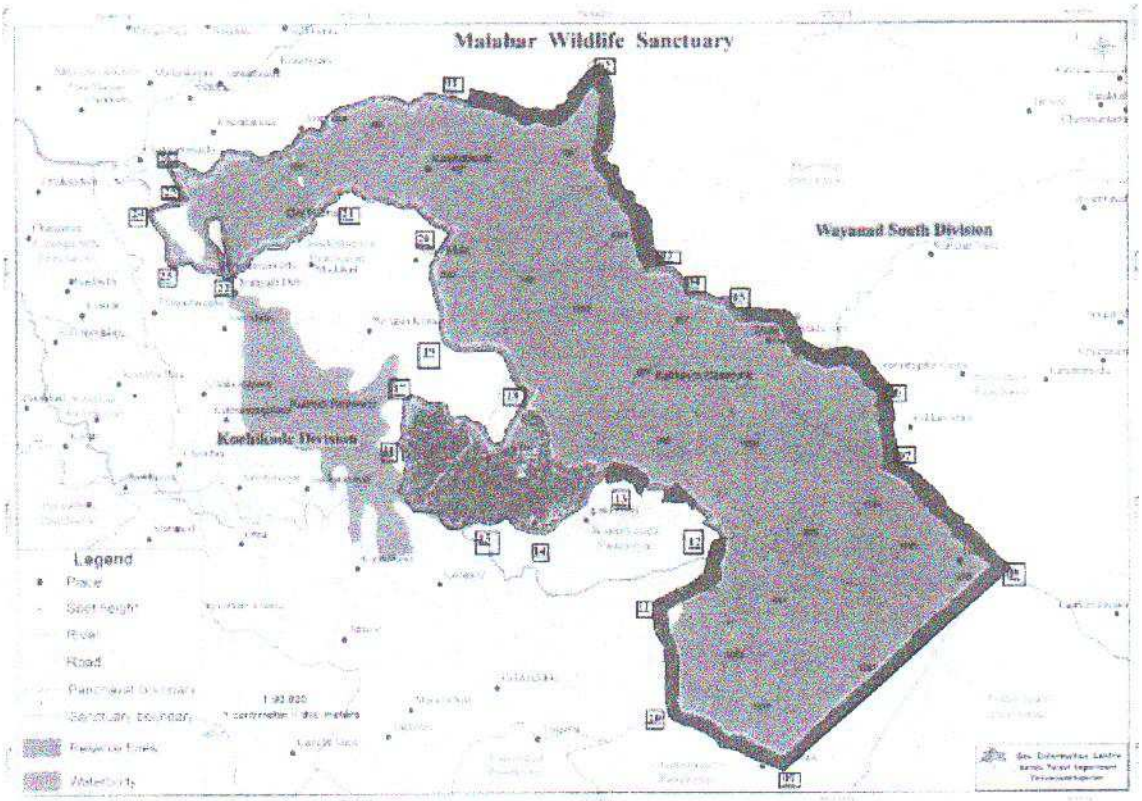

- ESZ WIDTH 1 KM

- ESZ WIDTH 100 m

LATITUDE AND LONGITUDE OF KEY LOCATIONS

ON THE BOUNDARY OF ECO-SENSITVE ZONE

Location on the Map	Latitude	Longitude
1	11^0 38’ 480”	075^0 52’ 095”
2	11^0 38’ 750”	075^0 54’ 032”
3	11^0 36’ 498”	075^0 54’ 712”
4	11^0 36’ 175”	075^0 55’ 192”
5	11^0 35’ 920”	075^0 55’ 852”
6	11^0 34’ 720”	075^0 57’ 735”
7	11^0 33’ 652”	075^0 57’ 830”
8	11^0 32’ 870”	075^0 59’ 010”
9	11^0 29’ 520”	075^0 56’ 232”
10	11^0 30’ 620”	075^0 54’ 840”
11	11^0 31’ 570”	075^0 54’ 923”
12	11^0 32’ 938”	075^0 54’ 927”
13	11^0 33’ 018”	075^0 54’ 096”

ANNEXURE-III

LIST OF VILLAGES AND VESTED FORESTS IN ECO-SENSITIVE ZONE

Sl. No	District	Taluk	Name of Village	Status (Partial/Full)
1	Kozhikode	Koyilandy	Chembanoda	Part
2	Kozhikode	Koyilandy	Chakkittapara	Part
3	Kozhikode	Koyilandy	Koorachundu	Part
4	Kozhikode	Kozhikode	Puthuppadi	Part
5	Kozhikode	Kozhikode	Kedavoor	Part
6	Wayanad	Kalpetta	Thariyod	Part
7	Wayanad	Kalpetta	Achooran	Part

Sl. No	District	Name of Reserved/Vested Forest	Administrative Control	Extent (sq.km)	Notification No.
1	Kozhikode	VFC Items No. 4 and 54 Pakkath Villeri Chudupullan	Kozhikode Forest Division	12.43	D 5272/77 dated 25.07.1980
2	Kozhikode	VFC Item No. 52 Bit 27	Kozhikode Forest Division	3.09	D 5272/77 dated 05.05.2001
3	Kozhikode	VFC Item No. 52 Bit No. 31	Kozhikode Forest Division	0.76	D 5272/77 dated 21.11.1979
4	Kozhikode	VFC Item No. 26 Pattarumedu, Villathiplavu	Kozhikode Forest Division	13.99	D 5272/77 dated 10.07.1977

Sl. No	District	Name of Reserved/Vested Forest	Administrative Control	Extent (sq.km)	Notification No.
5	Kozhikode	VFC Item No. 33 Panniyankara Malavaram	Kozhikode Forest Division	8.42	D 5272/77 dated 10.07.1977
6	Wayanad	VFC Item No. 15 Vattathumala	South Wayanad Forest Division	11.26	D 5272/77 dated 25.07.1980
7	Wayanad	VFC Items No. 7 & 57 Bhagyalakshmi Estate	South Wayanad Forest Division	1.76	D 5272/77 dated 10.07.1977
8	Wayanad	VFC Item No. 13 Perunthatta & CR Estate	South Wayanad Forest Division	0.81	D 5272/77 dated 10.07.1977
9	Wayanad	VFC Items No. 18, 19 & 87 Achooranmala	South Wayanad Forest Division	25.52	D 5272/77 dated 07.12.1978
10	Wayanad	VFC Item No. 59 Karunganni	South Wayanad Forest Division	1.50	D 5272/77 dated 10.07.1977

ANNEXURE-IV

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.